संख्या:2439 / 79–6–2009

प्रेषक,

सी0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाज़ीपुर,
बलिया, मऊ, देवरिया एवं कुशीनगर।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर,09

विषयः प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु किचेन कम स्टोर निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0 / 2453 / 2009–10 दिनांक 26.10.09 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नक्सल प्रभावित जनपदों में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्राथमिक विद्यालयों के लिए संलग्न विवरणानुसार रूपये 21,83,000/– (रूपये इक्कीस लाख तिरासी हजार मात्र) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रू0 40,12,000/–(रूपये चालीस लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय करने हेतु नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत / टाउन एरिया / ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जाएगी जिनके द्वारा यह धनराशि उनकी क्षेत्र सीमा के योजनान्तर्गत आने वाले विद्यालय में किचेन कम स्टोर के निर्माण हेतु प्रयोग में लायी जायेगी । इस धनराशि के लेखों के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा यह धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाएगी:–

(1) उक्त धनराशि का अलग से लेखा खता रखा जाएगा और इस धनराशि को जिस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा ।

(2) इस धनराशि से प्राप्त की गयी सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण एक अलग रजिस्टर में नियमानुसार अंकित किया जायेगा।

2– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा– आयोजनागत–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–01–मिड–डे–मील योजना(के.100 / रा.0)–20–सहायक अनुदान अंशदान / राज्य सहायता' के नामे डाला जायेगा ।

mdm/176

Scanned by CamScanner

3— यह आदेश वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—11 की अशासकीय संख्या—2425 / दस दिनांक—15.12.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सी0पी0 सिंह)
अनु सचिव ।

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ ।
3— संबंधित जनपदों के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / लेखाधिकारी ।
4— कोषाधिकारी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया एवं कुशीनगर।
5— वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
6— नियोजन विभाग अनुभाग—4,उ0प्र0 शासन ।
7— वित्त ई—11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
8— बजट अनुभाग—2,उ0प्र0 शासन ।
9— वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
10— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
अनु सचिव ।

mdm/177

Scanned by CamScanner

नक्सल प्रभावित जनपदों के नक्सल प्रभावित ग्रामों में अवस्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किचेन कम स्टोर निर्माण हेतु अवमुक्त की जानी वाली धनराशि का प्रस्तावः–

क्र. सं.	जनपद	नक्सल प्रभावित ग्रामों में अवस्थित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, जहाँ किचेन कम स्टोर निर्मित किया जाना है	स्वीकृत धनराशि@59,000 प्रति विद्यालय
1	मिर्जापुर	05	2,95,000.00
2	सोनभद्र	14	8,26,000.00
3	बलिया	18	10,62,000.00
योग		**37**	**21,83,000.00**

क्र. सं.	जनपद	नक्सल प्रभावित ग्रामों में अवस्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, जहाँ किचेन कम स्टोर निर्मित किया जाना है	स्वीकृत धनराशि@59,000 प्रति विद्यालय
1	मिर्जापुर	02	1,18,000.00
2	सोनभद्र	27	15,93,000.00
3	चन्दौली	21	12,39,000.00
4	गाजीपुर	07	4,13,000.00
4	बलिया	11	6,49,000.00
योग		**68**	**40,12,000.00**

Scanned by CamScanner